



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक:- ले.वि/ए.जी ऑडिट/2025/1793-1807

दिनांक :- 29/08/2025

1. निदेशक, एच.आर.डी.सी., राज.वि.वि., जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, राज.वि.वि., जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, राज.वि.वि., जयपुर।
5. उप-कुलसचिव, सामान्य प्रशासन/शोध/पी.पी., राज.वि.वि., जयपुर।
6. विश्वविद्यालय अभियन्ता, राज.वि.वि., जयपुर।
7. सहायक विधि परामर्श, राज.वि.वि., जयपुर।
8. प्रभारी, आर.टी.आई.सैल, राज.वि.वि., जयपुर।
9. सहायक कुलसचिव, संस्थापन-प्रथम/द्वितीय, राज.वि.वि., जयपुर।

10. सहायक कुलसचिव लेखा एवं वित्त-उपन/राज.वि.वि. जयपुर

विषय :- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- प.10(1)क/79/स्था.नि.अंके-1/अनुपालना/2025/2140-67 दिनांक 19.06.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न इकाइयों से संबंधित स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों (संलग्न सूची अनुसार) की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना चाही गई थी। परन्तु अधिकांश इकाइयों द्वारा अनुपालना प्रेषित नहीं की गई है। उपरोक्त आक्षेप ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना के अभाव में लम्बे समय से बकाया चल रहे हैं। उक्त सम्बन्ध में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 08.09.2025 से 12.09.2025 तक कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कैम्प में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आक्षेपों की अनुपालना तैयार कर दिनांक 01.09.2025 तक भिजवाये, जिससे आक्षेपों का निस्तारण करवाया जा सके।

अतः उपर्युक्त लम्बित अनुच्छेदों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना 3 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये।

भवदीय

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

—S—

वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

दिनांक :- 29/08/2025

क्रमांक:- ले.वि/ए.जी ऑडिट/2025/1808-1811

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीया कुलगुरु/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

—A.P.S.—
उपकुलसचिव
लेखा एवं वित्त 25/8/25

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया पैराज की विभागावार स्थिति :-

| क्र. सं. | वर्ष और कुल आक्षेप विभाग का नाम 71 | 2019-20 17 | 2020-21 31 | 2021-22 23 | कुल आक्षेप |
|----------|--|-------------------------------|--|---|------------|
| 1 | संस्थापन - II | 1 ब-4 | II-11,12(2) | II-11,21 | 5 |
| 2 | संस्थापन - I | - | - | - | 0 |
| 3 | लेखा एवं वित्त-I AR-I | 1 ब-1,3, II-3,8, III-1,2,3 | II-1,2,3,4,5,6,8,9,12,15, 17,18,19, III-1,5,10,12, | II-1,2,3,4,6,9,12,20, | 32 |
| 4 | लेखा एवं वित्त-II AR-II | - | II-6, | II-5,6,8, | 4 |
| 5 | विश्वविद्यालय अभियंता | 1-ब-5,6, | II-7,10, 6 III-6, | II-10, | 7 |
| 6 | जीएडी | 1-ब-7 II-6, IV-2,3, | II-6,7,13,14,15,16,20, III-6, IV-1,2,3, | II-6,7,15,17,18,19, भाग II ब (भण्डार)-1,2,3, | 24 |
| 7 | लीगल सैल | - | - | - | 0 |
| 8 | आर.टी.आई | - | - | - | 0 |
| 9 | एच.आर.डी.सी | - | - | - | 0 |
| 10 | परीक्षा नियंत्रक | III-4 | III-5 | II-18 | 3 |
| 11 | शोध अनुभाग | - | - | II-20 | 1 |
| 12 | पीआरओ | II-8 | II-9 | - | 2 |
| 13 | पीपी | - | II-6 | - | 1 |

सत्यापन के आधार पर निरस्त

| | | |
|-----------|-----------------|--------------|
| - III 3,4 | - II 3,11,16,17 | - II 15 |
| - IV-3 | - III 1,10 | - |
| | IV-1,2 | - II-1 भंडार |